

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2015/पौष 11, 1936

No. 01]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2015/PAUSHA 11, 1936

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

अधिसूचना

धारवाड, 5 नवम्बर, 2013

सं. केविजिबि/पिएचआरडीडी/1/2013.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का निर्देशक मंडल सिंडिकेट बैंक जो कि प्रायोजक बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करके और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्वारा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. (1) इन विनियमावलियों को कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 (जिसे इसके पश्चात उक्त विनियमावली कहा जाएगा) के विनियम 2 में खण्ड (छ) के लिए उप विनियम (1) में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः—

(छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है

(i) स्केल-III, IV और V के अधिकारी के संबंध में अध्यक्ष

(ii) स्केल - I और II के अधिकारी के संबंध में महाप्रबंधक, और

(iii) समूह 'ख' कार्यालय सहायक (बहुव्यंशिय) और समूह 'ग' कार्यालय परिचारक (बहुव्यंशिय) जैसे कर्मचारियों के संबंध में निर्देशक मंडल द्वारा यथा निर्धारित अधिकारी जो स्केल-IV के स्तर से कम न हो।

3. उक्त विनियमावली के लिए विनियम 50 में खंड (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

- (i) निर्देशक मंडल, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है,
- (ii) अध्यक्ष जहां महाप्रबंधक, सक्षम प्राधिकारी है, और
- (iii) महाप्रबंधक, जहां सक्षम प्राधिकारी का निर्णय विनियम 2 के उप विनियम (1) खंड (छ) के उप-खंड (iii) के अंतर्गत निर्देशक मंडल द्वारा किया जाता है।

अशोक रेड्डी नूकाल, अध्यक्ष

[विज्ञापन- III/4/असा./187-आर/13]

पाद टिप्पणी: दिनांक 30 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. 218 के तहत प्रकाशित प्रधान विनियमावली।

KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK

NOTIFICATION

Dharwad, the 5th November, 2013

No. KVGB/PHRDD/1/2013.—In exercise of powers conferred by section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of Karnataka Vikas Grameena Bank after consultation with Syndicate Bank being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Karnataka Vikas Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010, namely:—

1. (1) These regulations may be called Karnataka Vikas Grameena Bank Service (Amendment) Regulations, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 2 of the Karnataka Vikas Grameena Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub-regulation (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

(g) “Competent Authority” means,—

- “(i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV and V;
- (ii) the General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and
- (iii) an officer not below the rank of Scale-IV in respect of employees relating to Group ‘B’ Office Assistant (Multipurpose) and Group ‘C’ Office Attendant (Multipurpose) as decided by the Board”;

3. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:—

- “(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;
- (ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and
- (iii) the General Manager, where the Competent Authority is decided by the Board under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2.”

ASHOK REDDY NUKALA, Chairman

[ADVT-III/4/Exty./187-R/13]

Foot Note: The Principal Regulations published *vide* Notification No. 218 dated August 30, 2010.